

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/1513

कांकेर, दिनांक/04/06/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

विषय:— Diversion of Forest land non-Forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Jawahar Navodaya Vidyalaya Area 5.00 ha. regarding.

Online Registrarion No. FP/CG/SCH/32242/2018

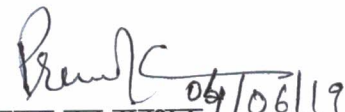
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/115-735/1333 दिनांक 27.05.2019

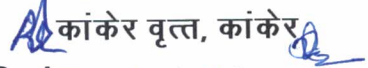


विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि आवेदकनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के दक्ष क्रमांक पी-794 में से रकबा 5.00 हे. वन भूमि पर जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी कलेक्टर, जिला कोण्डागांव से प्राप्त कर वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./834 दिनांक 29.05.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। जिसे आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

“कोण्डागांव जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत आता है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नक्सल प्रभावित जिलो में सामान्य अनुमोदना के तहत दिये गये अधिकारों के अधीन राज्य शासन स्तर से अनुमति जारी कराने का अनुरोध है।”

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य वन संरक्षक 04/06/19

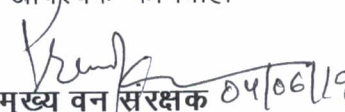
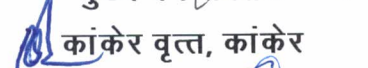

कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2019/1514

कांकेर, दिनांक/04/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./834 दिनांक 29.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक 04/06/19

कांकेर वृत्त, कांकेर